न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00090 दायरा दिनांक : 27.05.2019

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ, जाति कुमावत
2. अर्जुन पुत्र रघुनाथ, जाति कुमावत
निवासीगण उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. गुलाब चन्द पुत्र प्रभू लाल, जाति चांडाल
2. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल, जाति चांडाल, निवासीगण उदपुरिया, हाल निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
3. शंकरलाल पुत्र मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
4. प्रेमचन्द्र पुत्र मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी कोटा
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल
6. रूकमणी बाई पुत्री मदनलाल
7. भंवरी बाई बेवा मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
8. तेजकरण पुत्र रतनलाल
9. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
10. रामप्रसाद पुत्र रतनलाल
11. रामजानकी पुत्र मदनलाल
12. पानाबाई पुत्री रतनलाल
13. नट्टीबाई बेवा रतनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया, हाल निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
अभिभाषक रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 22.10.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 164/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद में आराजी खसरा नं. 70 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नं. 73 रकबा 17 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4.04 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद में स्थित आराजी खसरा नं. 70 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नं. 73 रकबा 17 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 4.04 बीघा रेस्पोडेंट/वादीगण मोत्याबाई पत्नी प्रभूलाल, जाति चांडाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। मोत्याबाई का स्वर्गवास हो गया है जिनका कायम मुकामान रेस्पोडेंट/वादी क्रम 1 व 2 है बताकर अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वक्त दायरा वाद कब्जा एवं खाता होने पर ही धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद लाया जा सकता है इस तथ्य को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

मूल खातेदार प्रभूलाल के चारों पुत्रों मदनलाल, रतनलाल, गुलाबचन्द, मोहनलाल द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 16.06.1988 को 19740/– रूपये में मोहनलाल, नन्दलाल पुत्रगण मदनलाल, जाति धाकड, निवासीगण उदपुरिया को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से मोहनलाल व नन्दलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था उसके पश्चात मोहनलाल, नन्दलाल, गोरधनलाल, मुरारीलाल पिसरान मदनलाल, जाति धाकड, निवासी उदपुरिया द्वारा अपीलांटगण एवं पृथ्वीराज को जर्ये इकरारनामा दिनांक 14.10.1998 को 60000/– रूपये अक्षरे साठ हजार रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से ही अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है। इस तथ्य को छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये गये व कब्जे की वास्तविक स्थिति की जानकारी किये बिना निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो सर्वथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के अधिवक्ता व बिना अपीलांटगण को सूचना दिये दिनांक 22.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर पत्रावली सीधे साक्ष्य वादी में नियत की गई जिसकी जानकारी अपीलांटगण को होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 04.04.2019 को आर्डर 9 नियम 7 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत हुए व बिना विधि सम्मत बहस सुने आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया और उसी दिन मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को अपनी प्रतिरक्षा करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिससे न्याय प्रभावित हुआ है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को अपनी समुचित जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने ग्राम उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद में वादग्रस्त आराजी 4.04 बीघा बाबत दावा किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2019 को दावा एक्सपार्टी कर दिया गया। सी.पी.सी. के अनुसार हमारा जवाबदावा बन्द करना चाहिए था। हमने आर्डर 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने जिन्हें वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है उनसे हमने यह आराजी क्रय की है उसके दस्तावेज, इकरारनामे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना दिये बिना दिनांक 22.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर पत्रावली सीधे साक्ष्य वादी में नियत की गई जिसकी जानकारी होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 04.04.2019 को आर्डर 9, नियम 7 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत हुए व बिना विधि सम्मत बहस सुने आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और उसी दिन मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होना नहीं पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट को सूचना प्राप्त होने के पश्चात उनकी ओर से दिनांक 17.01.2017 को श्रीमती पंकज शुक्ला अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। तत्पश्चात अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 22.01.2019 को प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात दिनांक 26.03.2019 को साक्ष्य वादी दर्ज करते हुए दिनांक 03.04.2019 को वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.04.2019 को आर्डर 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में मूल बहस होने के बाद प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन विधि सम्मत है क्योंकि जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिया गया था, परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल बहस के बाद प्रस्तुत आर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी विधि सम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ, जाति कुमावत
2. अर्जुन पुत्र रघुनाथ, जाति कुमावत
   निवासीगण उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

बनाम

.... **अपीलांट**

1. गुलाब चन्द पुत्र प्रभू लाल, जाति चांडाल
2. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल, जाति चांडाल, निवासीगण उदपुरिया, हाल निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
3. शंकरलाल पुत्र मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
4. प्रेमचन्द्र पुत्र मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी कोटा
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल
6. रूकमणी बाई पुत्री मदनलाल
7. भंवरी बाई बेवा मदनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया हाल निवासी छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
8. तेजकरण पुत्र रतनलाल
9. चन्द्रमोहन पुत्र रतनलाल
10. रामप्रसाद पुत्र रतनलाल
11. रामजानकी पुत्र मदनलाल
12. पानाबाई पुत्री रतनलाल
13. नट्टीबाई बेवा रतनलाल, जाति चांडाल, निवासी उदपुरिया, हाल निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2019/00090**
मु.द.नं0 **164/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **11.04.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09 सन् 2024**

श्री **ओम भारद्वाज** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **अभिभाषक रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)